**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 691

उत्‍तर देने की तारीख: 27.07.2015

**स्कूलों में यौन-शिक्षा का प्रारंभ**

**691. श्री राम कुमार कश्यपः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री दिनांक 22 फरवरी, 2013 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने न्यायाधीश वर्मा समिति की सिफारिश के अनुसार स्कूलों में यौन शिक्षा प्रारंभ किये जाने संबंधी मामले की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): न्‍यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों की राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के परामर्श से जांच की गई थी। जहां तक स्‍कूल शिक्षा का संबंध है यह ध्‍यान दिया गया कि समिति की सिफारिशों पर पहले ही सावधानी बरती जा रही है। किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) स्‍कूल स्‍तर पर आयु के अनुरूप मध्‍यस्‍थताओं की आवश्‍यकताएं भी पर्याप्‍त रूप से पूरी की जाती रही हैं। इसके अतिरिक्‍त, बुनियादी साक्षरता की पाठ्यचर्या तथा सतत शिक्षा पर तैयार साहित्‍य यथोचित रूप से इस पहलू को सम्मिलित करता है।

**\*\*\*\*\***